अनुदान संख्या 94 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 94 - MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6190,98,00	6225,29,00	5918,80,73	-306,48,27
पूरक	Supplementary	34,31,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				246,40,76
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
पूरक	*Supplementary*		*12,00,00*	*12,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	35,52,00	35,53,00	9,37,61	-26,15,39
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				26,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹30648.62 लाख) जुलाई, 2017, दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹3431.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹30648.27 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3431.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3200.00			
पू.	S.	1.00	2919.00	2722.53	-196.47
पु.	R.	-282.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	35597.00			
पू.	S.	3.00	..	..	..
पु.	R.	-35600.00			
मुख्य शीर्ष “2851”	Major Head “2851”				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	155346.00			
पू.	S.	3.00	138707.24	136361.57	-2345.67
पु.	R.	-16641.76			
मुख्य शीर्ष “2852”	Major Head “2852”				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	424955.00			
पू.	S.	3424.00	456262.00	452796.63	-3465.37
पु.	R.	27883.00			

(I) ₹38585.00 लाख का प्रावधान (₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹38485.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹38585.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs) remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹38485.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "ग्राम और लघु उद्योग – हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय सेक्टर)" – ₹3400.00 लाख;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग – हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹1300.00 लाख;

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग – रेशम उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹2500.00 लाख;

(घ) "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" –

(i) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्रों का विकास" – ₹24499.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" – ₹2700.00 लाख; और

(ङ) "ग्राम और लघु उद्योग – अन्य व्यय – प्लेन पावरलूम का उसी स्थान पर उन्नयन के लिए स्कीम" – ₹201.00 लाख (₹1.00 लाख का साकंतिक पूरक अनुदान सहित)

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2552" -

(a) "Village and Small Industries - Handloom Industries - National Handloom Development Programme (Center Sector)" - ₹3400.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹1300.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹2500.00 lakhs;

(d) "Consumer Industries - Textiles" -

(i) "National Institute of Fashion Technology" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "Development of Textiles in North East" - ₹24499.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs);

(iii) "Amended Technology Upgradation Fund Scheme" - ₹2700.00 lakhs; and

(e) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Scheme For In-Situ Up-Gradation of Plain Powerloom" - ₹201.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “2851” –

(क) “रेशम उद्योग – रेशमी वस्त्रों का विकास” – ₹1000.00 लाख – रेशम मेगा कल्स्टर परियोजनाओं को अंतिम रूप न लिए जाने के कारण थे।

(ख) “अन्य व्यय – ऊन विकास बोर्ड” – ₹300.00 लाख एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत स्कीम को विलय किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग – अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – पावरलूम संवर्धन स्कीम” – ₹1585.00 लाख – एजेंसियों, चल रही योजना भी मांग से दावो की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय” के अंतर्गत ₹478.47 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, पेशेवरों की कम नियुक्ति किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “हथकरघा उद्योग” –

(क) “बुनकर सेवा केंद्र” – ₹419.79 लाख की बचत (₹4700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹316.19 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1350.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) Major Head “2851” -

(a) “Sericulture Industries - Development of Silk Textiles” - ₹1000.00 lakhs - due to non-finalisation of Silk Mega Cluster projects.

(b) “Other Expenditure - Wool Development Board” - ₹300.00 lakhs - due to merger of schemes under one umbrella scheme.

(C) Major Head “2852” - “Consumer Industries - Special Component Plan for Scheduled Castes - Powerloom Promotion Scheme” - ₹1585.00 lakhs - due to non-receipt of claims from agencies, scheme being demand driven.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat-Ministry of Textiles”- saving of ₹478.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, less hiring of professionals and economy measures.

(III) Under Major Head “2851” - saving soccurred under the following heads:-

(A) “Handloom Industries”-

(a) “Weavers Service Centre” - saving of ₹419.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of adequate and viable proposals towards maintenance and repairs and economy measures.

(b) “Institute of Handloom Technology” - saving of ₹316.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1350.10 lakhs including token supplementary grants of ₹0.10 lakhs); and

(ग) "हथकरघा विकास आयुक्त – प्रवर्त्तन" – ₹153.66 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(घ) "संग्रहालय" – ₹845.34 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, वार्षिक रख–रखाव संविदा के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय सेक्टर)" – ₹4509.97 लाख की बचत ₹35790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, विविध स्कीमों के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति होने और कम बैठकों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(च) "उत्पादन अधिनियम 1985 के लिए हथकरधा (आरक्षण) अनुच्छेद" – ₹300.51 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदो को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(छ) "हथकरघा विकास" – ₹331.20 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1000.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "हस्तशिल्प उद्योग" –

(क) "प्रशिक्षण और विस्तार" – ₹1815.29 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को भरे न जाने कम दौरे किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(c) "Development Commissioner Handloom - Enforcement" - saving of ₹153.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(d) "Museum" - saving of ₹845.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards annual maintenance contract.

(e) "National Handloom Development Programme (Centre Sector)" - saving of ₹4509.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35790.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims under various schemes and holding of less meetings.

(f) "Handloom (Reservation) of Articles for production Act 1985" - saving of ₹300.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(g) "Handloom Development" - saving of ₹331.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1000.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh); and

(B) "Handicraft Industries"-

(a) "Training and Extension" - saving of ₹1815.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and economy measures.

(ख) "हस्तशिल्प विकास आयुक्त" – ₹179.42 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1100.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठकों का आयोजन किए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "विपणन और सेवा विस्तार" – ₹301.07 लाख की बचत (₹2090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घ) "निर्यात संवर्धन" – ₹146.09 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ङ) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹2565.82 लाख की बचत (₹1.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16171.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम दावे की प्राप्ति होने और कम पेशेवरों को रखे जाने के कारण हुई।

(गा) "पावरलूम उद्योग – पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹4192.60 लाख की बचत (₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15476.60 लाख के कुल स्वीकृत कुल प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹189.52 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से कम प्रस्तावों

(b) "Development Commissioner for Handicrafts" - saving of ₹179.42 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1100.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to holding of less meetings, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(c) "Marketing and Service Extension" - saving of ₹301.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2090.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(d) "Export Promotion" - saving of ₹146.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of viable proposals.

(e) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹2565.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16171.40 lakhs including token supplementary grant of ₹1.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and hiring of less professionals.

(C) "Powerloom Industries - Powerloom Promotion Scheme" - saving of ₹4192.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15476.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹189.52 lakhs (against the sanctioned provision of

की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) “पावरलूम संवर्धन स्कीम” – ₹292.80 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹500.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ग) “वस्त्र अवसंरचना और मेगा कलस्टर” – ₹767.10 लाख की बचत (₹1090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एससी लाभार्थियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घ) “राष्ट्रीय हथकरधा विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय सेक्टर)” – ₹341.17 लाख की बचत (₹3925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय सेक्टर)” – ₹214.27 लाख की बचत (₹3395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2852” – “उपभोक्ता उद्योग” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) “वस्त्र” –

(क) “वस्त्र श्रम पुनर्वास स्कीम” – ₹358.86 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

₹2800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from beneficiaries.

(b) “Powerloom Promotion Scheme” - saving of ₹292.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹500.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to receipt of less proposals from the implementing agency.

(c) “Textile Infrastructure and Mega Clusters” - saving of ₹767.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1090.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from SC beneficiaries.

(d) “National Handloom Development Programme (Center Sector)” - saving of ₹341.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3925.00 lakhs); and

(E) “Tribal Area Sub-Plan- “National Handloom Development Programme (Center Sector)” - saving of ₹214.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3395.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(IV) Under major Head “2852” - “Consumer Industries” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Textiles”-

(a) “Textile Labour Rehabilitation Scheme” - saving of ₹358.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(ख) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹2000.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹6797.94 लाख की बचत (₹14699.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" – ₹6520.25 लाख की बचत (₹197015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत लाभार्थियों से कम दावें की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ङ) "वस्त्र अवसंरचना और मेगा कल्सटर" – ₹4214.99 लाख की बचत (₹8700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेशम मेगा कल्स्टर परियोजना के अंतिम रूप न लिए जाने के कारण हुई।

(च) "प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना" – ₹18800.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹1800.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹40880.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2427.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(b) "National Institute of Fashion Technology" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(c) "Research and Development and Institutional Development" - saving of ₹6797.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14699.00 lakhs); and

(d) "Amended Technology Upgradation Fund Scheme" - saving of ₹6520.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹197015.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less claims from beneficiaries.

(e) "Textile Infrastructure and Mega Clusters" - saving of ₹4214.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8700.00 lakhs) was due to non-finalisation of Silk Mega Cluster project.

(f) "Pradhan Mantri Paridhan Rojgar Protsahan Yojana (PMPRPY)" - saving of ₹18800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the implementing agency.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Research and Development and Institutional Development" - saving of ₹1800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) The above savings were partly (₹40880.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹2427.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2851" – "रेशम उत्पादन उद्योग – केन्द्रीय रेशम बोर्ड" – ₹250.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹249.90 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग" –

(क) "वस्त्र" –

(i) "वस्त्र आयुक्त" – ₹657.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹423.84 लाख था।

(ii) "मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति" – ₹7845.00 लाख।

(iii) "वस्त्र समिति को सहायता" – ₹894.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹893.60 लाख था।

(iv) "पूर्वोत्तर में वस्त्र विकास" – ₹26023.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹25977.21 लाख था।

(ख) "अन्य – जूट" – ₹5211.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4969.05 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र – राज्य लेवी की छूट के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई" – ₹26557.13 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹156500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यातकों की लंबित देनदारियों से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

(A) Major Head "2851" - "Sericulture Industries - Central Silk Board" - ₹250.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹249.90 lakhs.

(B) Major Head "2852"- "Consumer Industries"-

(a) "Textiles"-

(i) "Textile Commissioner" - ₹657.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹423.84 lakhs.

(ii) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support" - ₹7845.00 lakhs.

(iii) "Assistance to Textile Committee" - ₹894.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹893.60 lakhs.

(iv) "Development of Textiles in North East" - ₹26023.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹25977.21 lakhs.

(b) "Others - Jute" - ₹5211.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4969.05 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles - Remission of State Levies (ROSL)" - excess of ₹26557.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹156500.00 lakhs including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pending liabilities of exporters.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4851”	Major Head “4851”				
ग्राम और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay onVillage and SmallIndustries				
मू.	O.	3500.00			
पू.	S.	1.00	901.00	897.61	-3.39
पु.	R.	-2600.00			

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) “हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय सेक्टर)” – ₹2603.39 लाख की बचत (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के पूरा होने की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under “Handloom Industries - National Handloom Development Programme (Center Sector)” - saving of ₹2603.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) was due to requirement of less funds owing to completion of projects and requirement of less funds by Central Public Works Department.